हुक्म	
08/07/24	पत्रावली पेश। अभि॰ प्रति॰ बहस हेतु समय चाहते हैं। पुनः न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। वादीगण द्वारा इस पर एतराज किया गया। आगामी पेशी पर बहस नहीं होने की स्थिति में merit के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 09/07/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
9/7/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में अन्य कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से [illegible] [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश हो।
24/07/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप॰। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26/07/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
26/07/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस सुनी गई। मुताबिक बहस प्रार्थी- "ग्राम खारीखुर्द, ख॰ सं॰ 52 मी॰ (56-09 बीघा) में 1/2 हि॰ पीरदान S/o शेषकरण, 1/2 हि॰ हेमदान S/o अम्बादान दर्ज है। किंतु वक्त settlement से पीरदान के 1/2 हि॰ पर वादीगण के पिता लालदान का कब्जा काश्त है। वक्त settlement राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से भूमि लालदान के नाम दर्ज नहीं हुई इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हुआ एवं दिनांक 27/07/19 को प्रति॰ ने 28 बीघा भूमि का बेचान ₹ 90/- में वादीगण को कर दिया। अतः वादीगण को विवादित भूमि में खातेदार घोषित

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2017/01097

of सहायक कलक्टर (कास्टेडे) at जोधपुर

Kind of the Case U/S 88, 188 R.T.A. 1955

Number of Case P/218/ Year 2024

स्व. फतेहकरण के का.मु. व अन्य Versus स्व. पीरदान के का.मु. व अन्य

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
किया जावे।" मुताबिक बहस अधि. प्रति. -" विवादित भूमि के ½ हि. पर प्रति. का कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में से 28 बीघा भूमि का बेचान प्रति. द्वारा नहीं किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा अपंजीकृत है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे।" तनकीवार न्यायालय विवेचन निम्नानुसार है- 1. आया वादीगण ख. सं. 52 मी. (56 बीघा 09 बिस्वा) मौजा खारीखुर्द के ½ हि. की खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं? न्यायालय मतः मा. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 06 जोधपुर महानगर के दीवानी मूलवाद सं. 88/2015 के निर्णय अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा को valid माना गया है मुताबिक civil न्यायालय ₹ 100/- से कम के संपत्ति हस्तांतरण के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय को appeal में भी यथावत रखा गया है अतः उक्त बैयनामा के आधार पर वादी ख. सं. 52 मी. की 28 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित करने का अधिकारी है।	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... सत्यमेव जयते ... जोधपुर

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2017/01092

Number of Case P/218/ Year 2024

स्व. फतेहकरण के वा. मु. व अन्य Versus स्व. पीरदान के वा. मु. व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	तनकी सं. 01 वादी के पक्ष में तय की जाती है।	
	2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के स्थान पर ½ हि. में अपना नाम अमलदरामद करवाने तथा प्रति. का नाम हटाए जाने के आदेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं?	
	तनकी सं. 02 को तनकी सं. 01 के न्यायालय विवेचन अनुसार वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।	
	3. आया वादीगण संवत 2012 से कब्जा एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी हैं?	
	न्यायालय विवेचन: प. ह. खारीखुर्द की रिपोर्ट दिनांक 18/07/19 के अनुसार ख. सं. 52 मी. के ½ हि. पर परबतदान S/O लालदान का कब्जा होना बताया गया है।	
	PW1 के बयान अनुसार परबतदान का कब्जा है और evidence के तौर पर बिगोड़ी रसीदें पेश हैं।	
	AW1 के बयान अनुसार (शिवदत्त S/O पीरदान) हमारी भूमि पर परबतदान S/O लालदान का कब्जा है हमारा पूर्व में समझौता हो चुका है। मेरा खसरा उनके नाम किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।	
	उपरोक्त के आधार पर तनकी सं. 03 आंशिक रूप से वादीगण के	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2017/01097

Number of Case P/218/ Year 2024

स्व. फतेहकरण के का.मु. व अन्य Versus स्व. पीरदान के का.मु. व अन्य

e	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पक्ष में तय की जाती है कि भूमि पर परखतदान का कब्जा है, जिसे स्वयं प्रति. सं. 4/3 ने admit किया है।	
4.	आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाने के अधिकारी हैं?	
	न्यायालय विवेचन: प्रतिवादीगण, वादीगण के admitted कब्जे काश्त की भूमि में दखल ना करें। किंतु यह स्थाई निषेधाज्ञा सहखातेदार के विरुद्ध मान्य नहीं होगी।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित तहसीलदार, जोधपुर को किया जाता है कि ग्राम खारी खुर्द के 28 बीघा भूमि ख. सं. 59 $_2$ मि. के नाम दर्ज की खातेदारी वादीगण हो। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	Purohit सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते जोधपुर